जवाब दिनांक 23...

5/1

उपखण्ड अधिकारी
करौली

23.1.19

वकील हाजर उपस्थित। अप्रार्थी जवाब पेश करना नहीं चाहते है। जवाब बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन अपना नाम रंजीराम के स्थान पर रजीराम किए जाने बाबत पेश किया है जमाबन्दी सं. 2046-49 मे खसरा नं 278/1 रकबा 6बीघा 19बिस्वा ग्राम सिलपुरा तहसील करौली मे प्रार्थी का नाम रजीराम पुत्र मूला अंकित है। परन्तु जमाबन्दी सं. 2050-53 तैयार करते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम रजीराम के स्थान पर रेजीराम दर्ज कर दिया गया है। जो लिपिकीय भूल है और शुद्ध किये जाने का कथन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं. 2046-49 मे प्रार्थी का नाम रजीराम अंकित है। जो मे 2050-53 की जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन लिपिकीय भूल से रेजीराम दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध मे अपना राशनकार्ड आधार कार्ड परिचयपत्र की छाया प्रति पत्रावली मे पेश की है। जिसमे प्रार्थी का नाम रजीराम अंकित है। प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नं. 278/1 रकबा 6बीघा 19बिस्वा ग्राम सिलपुरा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नम्बर 1765/1, रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ग्राम गुडला तहसील करौली के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रंगीराम पुत्र मूला के स्थान पर रजीराम पुत्र मूला दुरूस्त कर अमल किये जाने के आदेश तहसीलदार करौली को दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड मजिस्ट्रेट करौली (राज.)	जारी 545 14.3.19